



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10112025-267546  
CG-MH-E-10112025-267546

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4917]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2025/कार्तिक 19, 1947

No. 4917]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2025/KARTIKA 19, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 10 नवम्बर, 2025

**का.आ. 5072(अ).**— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए के उपखंड(I) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम रेलवे निर्माण संगठन) की अधिसूचना सं. 3144 (अ) दिनांक 14.08.2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम रेलवे निर्माण संगठन) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के आणंद जिले में आनंद – गोधरा दोहरिकरण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा की गई थी;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उप-धारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार “संदेश” में दिनांक 26.08.2025, और “इंडियन एक्सप्रेस” में दिनांक 26.08.2025 को प्रकाशित किया गया था; और, सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति का कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर रेल अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसमें उपावद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित कि जाएगी ।

और, आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप धारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार यहां घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर इसके साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पूरी तरह से सभी वाधाओं से मुक्त होकर केंद्र सरकार हस्तक हो जाएगी ।

### अनुसूची

विषय :गुजरात राज्य में आनंद – गोधरा दोहरिकरण परियोजना नामक विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम: आनंद

तालुका का नाम: उमरेठ

क्रमांक नहीं	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूमि मालिक/इच्छुक व्यक्ति का नाम
गाँव : गंगापुरा					तालुका : उमरेठ
1	67	निजी	कृषि	0-11-24	बावरभाई जयंतीभाई आदि की विधवा कैलाशबेन जशभाई।
2	91	निजी	कृषि	0-03-91	जतिनभाई परमानंदभाई पटेल आदि।
3	92	निजी	कृषि	0-24-36	गोटाभाई परसोत्तमभाई ठाकोर आदि।
4	93	निजी	कृषि	0-14-73	रमनभाई सोमाभाई पटेल
5	94	निजी	कृषि	0-10-26	मनुभाई सोमाभाई भोई आदि।

[फा. सं. E.-396500-10]

राजेश श्रीवास्तव, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण)

### MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

### NOTIFICATION

Mumbai, 10th November, 2025

**S.O. 5072(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board ) (Published in the Gazette of India, under notification No. 3144 of dated **14.08.2024** Extra Ordinary- part II- Section-3 -Sub-section (ii)) (here in after referred to as the said notification) under subsection(I) of section 20A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to be acquired the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Anand-Godhra doubling Project in District Kheda in the State of Gujarat.

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspaper "Divyabhaskar" dated 25th August 2024 and "The Indian Express" dated 25th August 2024 under subsection (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection has been received by the competent authority.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report of the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

**Sub** Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: **Anand-Godhra doubling** Project in District Anand in the state of Gujarat as per joint measurement sheet prepares by DILR Kheda- Anand .

#### SCHEDULE

Sub: Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: Anand-Godhra doubling Project in the state of Gujarat as per joint measurement sheet prepared by DILR Anand.

Name of District: Anand			Name of Taluka: Umreth		
Sr. No	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be Acquire (in Sqm.)	Name of Land Owner/ Interested Person
Village: Gangapura			Taluka: Umreth		
1	67	Private	Agriculture	0-11-24	Kailashben Jashbhai widow of Babarbhai Jayantibhai etc.
2	91	Private	Agriculture	0-03-91	Jatinbhai parmanandbhai patel etc.
3	92	Private	Agriculture	0-24-36	Gotabhai Parasottambhai Thakor etc.
4	93	Private	Agriculture	0-14-73	Ramanbhai Somabhai patel
5	94	Private	Agriculture	0-10-26	Manubhai Somabhai Bhoi etc.

[F. No. E. -396500-10]

RAJESH SRIVASTAVA, Chief Project Manager (Const)